RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

भूमिहीन कृषि श्रमिक : समस्याएं एवं समाधान
(मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)

डॉ. राजकुमार सिंह बोलिया

सह–आचार्य, समाजशास्त्र, मा.ला.व.रा., महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तावना–

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानि कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का एक सबसे बडा एवं महत्वपूर्ण अंग है । अन्य अल्प विकसित देशों की भांति भारत भी मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। यहां के जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान हर दृष्टि से बहुत ऊंचा एवं महत्वपूर्ण है, अर्थात् हम कह सकते हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि के आधार पर ही टिकी हुई है और इसका लगभग हर भाग गहरे तौर पर कृषि क्षेत्र से प्रभावित होता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है । हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान सबसे अधिक है । देश की लगभग एक तिहाई राष्ट्रीय आय खेती के द्वारा प्राप्त होती है । खेती यहां के लोगों का पुराना व्यवसाय है तथा इस संबंध में लोगों को सदियों का अनुभव प्राप्त है।

वर्ष 2001 में देश में लगभग 10.67 करोड़ कृषि श्रमिक थे जो बढकर वर्ष 2011 तक 14.43 करोड के लगभग हो गये । वर्ष 2011 में मध्यप्रदेश में इनकी संख्या लगभग 1.21 करोड़ थी । एक सर्वे के मुताबिक 2012–13 में कृषि में होने वाले कुल खर्चो का 40 प्रतिशत कृषि श्रमिकों पर खर्च हुआ । एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इन कृषि श्रमिकों से संबंधित यह है कि महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले ज्यादा है। वर्ष 2011 में पुरूषों का प्रतिशत जहां 47.5 प्रतिशत था वहीं महिला कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 52.5 प्रतिशत था ये भी एक विचारणीय बिन्दु है।

भूमिहीन कृषि श्रमिक हमारे देश की एक बहुत बडी समस्या है । भूमिहीनों की संख्या बढ़ने के साथ–साथ इनमें गरीबी भी बहुत अधिक है । इनकी स्थिति बहुत कमजोर गिरी हुई एवं दयनीय है और विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें तरह–तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । निःसंदेह देश की पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था का यह बहुत ही उपेक्षित तथा पिछड़ा हुआ भाग है । इस भाग की समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझाए बिना कृषि–अर्थ व्यवस्था में वास्तविक और स्थायी तौर पर सुधार लाना असंभव है।

भूमिहीन व्यक्ति होने के लिए दो बातें आवश्यक है :–

1. ऐसा व्यक्ति वास्तविक कृषक होना चाहिए ।
2. उसके पास अकेले या परिवार के साथ संयुक्त रूप से धारित भूमि के उसके हिस्से में विहित क्षेत्रफल से अधिक भूमि न हो ।

विहित क्षैत्रफल : मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई 1962 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 2547–5163–60 सातवां नियम, दिनांक 26 जून 1962 द्वारा राज्य शासन ने क्षेत्रफल विहित किया है । भूमिहीन व्यक्ति में वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जो निम्नलिखित से कम भूमि धारण करता हो :–

1. चावल क्षेत्र में 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ असिंचित भूमि या
2. कपास, ज्वार या गेहूँ क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि या
3. कोदों, कुटकी या बाजरा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

कृषि श्रमिकों के प्रकार :–

1. **खेती में काम करने वाले –** इस वर्ग में हल चलाने, फसल बोने, भूमि को खेती योग्य बनाने, फसलों के पौधों मे से आवश्यक जंगली पौधे साफ करने तथा फसल काटने आदि का कार्य करने वाले सम्मिलित हैं । खेती पर काम करने वाले श्रमिक प्रायः फसल के अवसर पर काम करते हैं । कई बार इन श्रमिकों को उपज में साझेदारी के अधिकार भी मिलते हैं । कई बार इन्हें आकस्मिक कार्यो में भी नियोजित कर निश्चित दर से पारिश्रमिक भी दिया जाता है।

2. **सामान्य श्रमिक –** खेती में प्रत्यक्ष काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते है जो कुएं खोदने , नहर की मिट्टी निकालने, कृषि भूमि के चारों और मिट्टी की मेड़े बांधने आदि का कार्य करते हैं जो कृषि कार्यो से संबंधित है । इन श्रमिकों के कार्य प्रायः आकस्मिक होते हैं और इन्हें भी मजदूरी के आधार पर नियोजित किया जाता है।

3. **कुशल श्रमिक –** उपर्युक्त दोनों प्रकार के श्रमिकों के अतिरिक्त किसान अनेक बार ऐसे कुछ व्यक्तियों की सेवाएं भी प्राप्त करता है जो कृषि के लिए प्रत्यक्ष उपयोगी काम नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं। इन श्रमिकों में बड़ई, चमार, लुहार आदि सम्मिलित हैं जो हल, गाड़ी अथवा चरस बनाने उनकी मरम्मत करने के कार्यों में सहायक होते हैं । इन श्रमिकों को ठेके अथवा मजदूरी पर नियोजित किया जाता है।

कृषि श्रमिकों की वृद्वि के कारण –

- कुटीर उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पराभव ... गाडगिल का यह मत है कि कुटीर उद्योगों एवं हस्तकलाओं का पराभव होने पर इन शिल्पकारों के सामने वैकल्पिक रोजगार की एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई । इसलिए इनके सामने कृषि कार्य करने के सिवाय कोई उपाय नहीं था ।
- **कृषि पर जनभार में वृद्धि –** जैसे–जैसे कुटीर उद्योगों का पराभव हुआ वैकल्पिक रोजगार के असर कम हुए और दूसरी और भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण भूमि का स्वामित्व कुछ ही तत्वों के हाथों में केन्द्रित रहा और इससे भूमिहीन कृषकों की समस्या विकट होती चली गई।
- **ऋण ग्रस्तता –** ऋण ग्रस्तता के कारण छोटे कृषकों की जमीन का स्वामित्व शनैः शनैः जमींदरों एवं साहूकारों के पास केन्द्रित होता गया जिससे उनके जीने का सहारा छिनता चला गया ।
- **कृषि में प्रतिफल की अनिश्चितता–** मौसम और मानसून की अनिशचितता के कारण भी बहुत से छोटे किसान मजदूरी पर कार्य करने को विवश होते जाते हैं ऐसी स्थिति में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है ।
- **ग्रामोद्योगों का विकसित न होना –** गांवो में वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण भी कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्वि होती है।

कृषि श्रमिकों की विशेषताएं –

1. कृषि श्रमिक असंगठित होते हैं ।
2. कृषि श्रमिक श्रमशील होते हैं ।
3. कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं ।
4. कम मजदूरी ।
5. सेवायोजक और कृषि श्रमिकों में अन्तर नाम मात्र का होता है।
6. कृषि कार्यो के लिए कानून का अभाव ।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए शासकीय उपाय –

भूमिहीन कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया है क्योंकि इनकी बुरी दशा के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक, ऐतिहासिक और संस्थागत कारणों का हाथ रहा है । इनकी दशा में सुधार लाने के उद्वेश्य से केन्द्र व राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुछ उपाय अपनायें है।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

न्यूनतम मजदूरी कानून के द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने का प्रयास किया है।

भूमिहीनों को भूमि का आंवटन किया गया है लाखों हेक्टेयर भूमि का आंवटन इस भूमिहीन कृषि श्रमिकों को किया गया है ताकि ये कृषि क्षेत्र में किसान के तौर पर काम कर सकें ।

निर्धन वर्ग की मदद के लिए बनाये गये विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमिहीन मजदूरों को विशेष सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सरकारों के द्वारा इनकी स्थिति में सुधार लाने एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई उल्लेखनीय कार्यक्रम शुरू किये गए जिनमें छोटे किसानों के विकास की एजेंसी, सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के विकास की एजेंसी तथा संगठित शुष्क भूमि कृषि विकास योजना, खेती के अलावा पशु व मुर्गीपालन के विकास एवं खालीसमय में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शामिल है, उल्लेखनीय है। अनुपूरक रोजगार दिलाने के लिए देहाती क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रमों का भी इनमें प्रबंध किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इस वर्ग के लिए काफी सहायक सिद्व हुआ है, जिसके अन्तर्गत आधार–मूलक जरूरतों के संबंध में प्रबंध किया जाता है जैसे की पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध, गन्दी बस्तियों के परिवेश में सुधार, गरीबों के लिए शिक्षा और आवास–स्थान का प्रबंध आदि से इस वर्ग को विशेष लाभ पहुंचा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके दो मुख्य उद्देश्य हैं एक तो रोजगार अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से भूमिहीनों के परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गांरटी देना। दूसरे तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता केन्द्र के द्वारा दी जाती है, इनके अलावा बंधक श्रम का उन्मूलन सहित अनेकों योजनाएं इस वर्ग के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा लागू की जा रही है जिससे इस वर्ग का कल्याण किया जा सके।

निष्कर्ष –

ऐसा नहीं कि इस वर्ग की भलाई के लिए कुछ नहीं किया गया है उनकी भलाई के लिए उनके जीवन विकास के लिए उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने के कई प्रयास किये गये एवं किये जा रहे हैं परन्तु उनका कुछ खास कल्याण नहीं हो सका, उनकी माली हालत में विशेष सुधार नहीं आ पाये हैं और इस वर्ग में से किसी ने भी आज तक सरकार से कोई विशेष मांग नहीं की है न जमीन की , न कृषि उपकरणों की और न कोई अन्य मांग, निष्कर्ष रूप से एक बात तो साफ जाहिर है कि इनके कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम या योजनाएं चालू की गयी उसमें कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कमियों तो थी ही परंतु उनके लागू करने में भी कई अड़चनें तथा मुश्किलें आई जिससे ये भूमिहीन कृषि श्रमिक सही तरीके से लाभान्वित न हो सके ।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. मिश्रा पी. (1989) ग्रामीण अर्थशास्त्री, राजहंस प्रकाशन, मेरठ
2. दाहमा ओ.पी. (1988) ग्रामीण समाजशास्त्र, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
3. गोयल डी.पी. ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, लायन बुक डिपो, ग्वालियर
4. देसाई ए.आर. (1964) भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्री, रावत ब्रदर्स जबलपुर
5. बघेल डी.एस. (1985–86) ग्रामीण समाजशास्त्र, पुष्पराज प्रकाशन,रीवा
6. शर्मा रामनाथ (1986) भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, ओरियन्टल पब्लिशिंग हाउस, कानपुर
7. CENSUS (2001-2011)

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)